



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/आषाढ़ 17, 1937

No. 239]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASADHA 17, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

सं.एल-1/44/2010-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, समय-समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की हिस्सेदारी)(चौथा संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम 1 जून 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के उपखंड (V) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़े जाएंगे:

“(ब) आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए कोई पारेषण प्रभार वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए ई-बिड आरएलएनजी से वृद्धिशील गैस आधारित उत्पादन के लिए प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(भ) आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए ई-बिड आरएलएनजी से वृद्धिशील गैस आधारित उत्पादन हेतु कोई पारेषण हानियां नहीं होंगी।”

शुभा शर्मा ,सचिव

[विज्ञापन III/4/असा/150/15 (130)]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 162 तारीख 16.6.2010 को प्रकाशित किए गए थे। मूल विनियम के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 क्रम संख्या 229 में 25.11.2011 को जारी किया गया था, दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 क्रम संख्या 76 में 28.3.2012 को जारी किया गया था और तीसरा संशोधन मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4, क्रम संख्या 118 में 7.4.2015 को जारी किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2015

No. L-1/44/2010/CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 read with Part V of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 as amended from time to time (hereinafter referred to as "The Principal Regulations"):

1. Short title, extent and commencement

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) (Fourth Amendment) Regulations, 2015.
- (2) These regulations shall come into force with effect from 1st June, 2015.

2. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:

The following sub-clauses shall be added after sub-clause (v) of clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations:

"(w) No transmission charges for the use of ISTS network shall be charged to incremental gas based generation from e-bid RLNG for the years 2015-16 and 2016-17.

"(x) No transmission losses for the use of ISTS network shall be attributed to incremental gas based generation from e-bid RLNG for the year 2015-16 and 2016-17."

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./150/15(130)]

Note : The Principal Regulations were published on 16th June, 2010 in the Gazette of India Extraordinary Part III-Section 4 at Serial No.162. The first amendment was issued on 25th November, 2011 in the Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4 at Serial No.229, the second amendment was issued on 28th March, 2012 in the Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4 at Serial No.76 and third amendment was issued on 7th April, 2015 in the Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4 at Serial No.118.